जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर   दिनांक 05.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.03.2024 को वादी श्री लखविन्दर सिंह पुत्र जनरैल सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि 05 नामजद व 02 अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें वादी के कुत्ते को गोली लग गयी और जिससे कुत्ते की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, मुरादाबाद से की जा रही है।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता –

एक बाल अपचारी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

5- महिला आरक्षी पूजा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक- 05.10.2024**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 387/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.10.2024 को वादी केशव कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 04.10.2024 को शाम करीब 07.00 बजे अज्ञात व्यक्ति ने ग्राम अस्करीपुर स्थित शिव मन्दिर से पीतल का घंटा चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 387/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में जावेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जावेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किया गया पीतल का घंटा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जावेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी-

चोरी किया गया पीतल का घंटा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.आरक्षी 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3.आरक्षी 2588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक 05.10.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों 1.दिनेश पुत्र सूपा निवासी ग्राम भोगलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.पिछत्तर सिंह उर्फ विचित्र पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम भोगलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.दिनेश पुत्र सूपा निवासी ग्राम भोगलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.पिछत्तर सिंह उर्फ विचित्र पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम भोगलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3. आरक्षी 210 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 05.10.2024**

थाना नहटौर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा चालक के साथ जहरखुरानी कर गाडी चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर स्विफ्ट डिजायर गाडी बरामद की गयी।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.10.2024 को वादी श्री गौरव पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी ग्राम हुसैनपुर बैजुआ सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि वादी की स्विफ्ट डिजायर गाडी रजि0 नं0 UP83DT3436 जो ओला उबर दिल्ली में चलती है। दिनांक 17.09.2024 को दो अज्ञात लोगों ने कोटद्वार के लिये कहकर वादी की कार बुक की, जिनमें से एक व्यक्ति ने अपना लवकुश के नाम का आधार कार्ड दिया था। रास्ते में इन लोगों ने वादी की कार के चालक अरुण कुमार पुत्र राकेश निवासी ग्राम दौलतपुर बैजुआ थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया तथा ड्राइवर को थाना नहटौर क्षेत्र में सडक किनारे छोडकर गाड़ी चोरी कर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 348/2024 धारा 123/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.10.2024 को थाना नहटौर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1.नदीम अहमद पुत्र साबिर निवासी मौ0 हजरत नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.खुर्शीद पुत्र भूरे शाह निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.महमूद शाह पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 4.चेतन पुत्र देवेन्द्र निवासी धनवापुर थाना राजेन्द्र पार्क जनपद गुरुग्राम (हरियाणा) को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नं0 UP83DT3436 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नदीम अहमद पुत्र साबिर निवासी मौ0 हजरत नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.खुर्शीद पुत्र भूरे शाह निवासी मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.महमूद शाह पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.चेतन पुत्र देवेन्द्र निवासी धनवापुर थाना राजेन्द्र पार्क जनपद गुरुग्राम (हरियाणा)

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त नदीम अहमद ने पूछताछ पर बताया कि मेरी कार की किस्त टूट रही थी। इसलिये मुझे पैसो की जरूरत थी तथा मेरे पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने **चेतन** के साथ मिलकर योजना बनाई कि एक गाड़ी को बुक करके उसके चालक को नींद की गोली देकर उसकी गाड़ी को चोरी करके बेच कर रुपयों का इन्तजाम कर लेते है। चेतन भी एक लाख रुपये की हिस्सेदारी में इस काम के लिये तैयार हो गया। दिनांक 17.09.2024 को मैंने और चेतन ने उबर ट्रैवल कम्पनी से एक स्विफ्ट कार नं0 UP83DT3436 आनन्द विहार से कोटद्वार के लिये 4400 रुपये में बुक कर ली। बुक की हुई कार में बैठकर जब हम दोनों कोटद्वार पहुंचे तो मैने एक ग्लास फ्रूटी में 03 नींद की गोलियाँ मिलाकर चालक अरुण को पिला दी। जिससे चालक अरुण को नींद आ गयी, जिसे हमने पीछे बैठा दिया हम दोंनो गाड़ी को कोटद्वार से लेकर नहटौर आ गये तथा नहटौर-धामपुर रोड़ पर पुलिया के पास चालक अरुण को गाड़ी से नीचे गिराकर नूरपुर में गाड़ी मिस्त्री **खुर्शीद** के पास ले जाकर गाड़ी का जी0पी0एस0 हटवाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद गाड़ी को **महमूद शाह** की पार्किंग में चोरी की बताकर छिपाने के लिये खड़ा कर दिया था।

बरामदगी –

गाड़ी स्विफ्ट डिजायर रजि0सं0 UP83DT3436

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री अमित कुमार, स्वाट टीम जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री हरिप्रकाश सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
4.उ0नि0 श्री अशोक मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5.उ0नि0 श्री भारत सिंह, थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6.उ0नि0 यूटी श्री शेखर कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.उ0नि0 यूटी श्री रोबिन कौशिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
8.हे0कां0 योगेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
9.हे0कां0 496 नरेश पूनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर
10.हे0कां0 131 शरद पवार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
11.हे0कां0 312 किशन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
12.कां0 मोनू सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
13.कां0 1813 आदित्य मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
14.कां0 1369 रोहित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर